

संख्या. एवी-34010/10/2016-एस

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

‘बी’ ब्लॉक, राजीव गांधी भवन
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली
दिनांक: 01.08.2025

आदेश

वर्तमान कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सुश्री अनुराधा (जिन्हें आगे "अपीलकर्ता" कहा जाएगा) द्वारा दायर प्रथम अपील, पंजीकरण संख्या एमओसीएवी/ए/ई/25/00022 दिनांक 19.07.2025 से उत्पन्न हुई है। यह अपील केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.04.2025 को दिए गए उत्तर के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलकर्ता ने अपने सूचना का अधिकार आवेदन संख्या एमओसीएवी/ए/ई/25/00115 दिनांक 17.03.2025 के माध्यम से श्री ए. के. बिल्लावरिया, उप निदेशक, बीसीएस (दिनांक 29.02.2024 से सेवानिवृत्त) से संबंधित सतर्कता प्रकरण के संबंध में सूचना मांगी थी।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 17.04.2025 के अपने पत्र माध्यम से अपीलकर्ता को अवगत कराया कि मांगी गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ह) के अंतर्गत प्रकटीकरण से अपवर्जित है, क्योंकि श्री बिल्लावरिया के विरुद्ध सतर्कता प्रकरण अभी भी जांचाधीन है।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए उक्त उत्तर से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपील का मुख्य आधार यह है कि कथित रूप से उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं कराया गया। अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 17.03.2025 के मूल सूचना आवेदन में मांगी गई सूचना पुनः उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

प्रकरण के अभिलेखों, जिनमें अपीलकर्ता के अभ्यावेदन तथा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 17.04.2025 के माध्यम से दिया गया उत्तर सम्मिलित है, के परीक्षण के उपरांत यह पाया गया कि श्री बिल्लावरिया से संबंधित प्रकरण में जांच अभी भी प्रगति पर है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ह) के अंतर्गत प्रदान की गई अपवर्जन की व्यवस्था इस प्रकरण में लागू होती है तथा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दावा किया गया अपवर्जन, न्यायोचित पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि उत्तर वैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर जारी किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय को यथावत् रखते हुए यह अपील निस्तारित की जाती है।

यदि अपीलकर्ता इस निर्णय से अभी भी असंतुष्ट हों, तो वे विधि में निर्धारित अवधि के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

हस्ताक्षरित/-

(कुमार सौरभ राज)
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
दूरभाष: 011-24653565

प्रतिलिपि:

1. सुश्री अनुराधा, एम-103, अजनारा होम्स, ग्रेटर नोएडा (पश्चिम), गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306।
2. समन्वय एवं कल्याण अनुभाग, नागर विमानन मंत्रालय - सूचनार्थ।